

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

पत्र सं-10/विविध /आ०प्र०प्रा०-०७/२०१३/.....५२२७/आ०प्र०, दिनांक - ४/१२/१३
 बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (कृत्य एवं प्रबंधन) नियमावली २०१२ जो अधिसूचना सं-१८० दिनांक - १५.०१.२०१३ द्वारा अधिसूचित है, के नियम ३३ क्रे उप नियम (१) एवं (२) में प्रावधानित कार्यों/उद्देश्यों के लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की प्रशासनिक निधि (Administrative Fund) के नाम से एक निधि एतद द्वारा स्थापित किया जाता है। इस निधि का प्रबंधन एवं प्रशासन बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त नियमावली के प्रावधानित शर्तों के अनुसार किया जायेगा एवं इसका संधारण बैंक खाता के माध्यम से किया जाएगा।
 इस निधि की स्थापना में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

मैमू
(व्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक - ५२२७ पटना-१५, दिनांक - ४/१२/१३.
 प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

मैमू
प्रधान सचिव

ज्ञापांक - ५२२७ पटना-१५, दिनांक - ४/१२/१३.
 प्रतिलिपि सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

मैमू
प्रधान सचिव

ज्ञापांक - ५२२७ पटना-१५, दिनांक - ४/१२/१३.
 प्रतिलिपि मुख्य सचिव-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

मैमू
प्रधान सचिव

ज्ञापांक - ५२२७ पटना-१५, दिनांक - ४/१२/१३.
 प्रतिलिपि माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

मैमू
प्रधान सचिव